बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि १ मई, १९६१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि १ मई १९६१ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री ीपनारायण सिंह—महाशय, मैं द्वितीय विधान-सभा के अष्टम्-सत्र (नवम्बर, दिसम्बर, १९६०) के ६६० अनागत तारांकित प्रश्नों में से १०७ प्रश्नों के उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ। शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय की विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्यों का नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री वैद्यनाथ प्रसाद सिंह	४६, ८८०, १०१४, १२५७, १६७४।
२	श्री ललन प्रसाद सिंह	६२।
३	श्री रामानन्द तिवारी श्री देवेन्द्र झा श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा	१८०।
४	श्री राम नारायण मंडल	२२४।
५	श्री चेतु राम	२२७, ४७३।
६	श्री जॉन मुंजनी	२२९।
७	श्री राम जयपाल सिंह यादव	२३०, ९९७, १००९।
८	श्री उपेन्द्र नारायण सिंह	२३३।
९	श्री प्रियव्रत नारायण सिंह	२३६।
१०	श्री राम अशीश सिंह	२३७, ८६७।
११	श्री नन्द किशोर सिंह	२३९, १०००, १००१।
१२	श्री जय नारायण झा "विनीत"	३२१, ८७८, १२९३, १६५८।
१३	श्री कार्यानन्द शर्मा	३२२।

कर्मचारी पर कार्रवाई।

१९४६। श्री राम अशीश सिंह—क्या राजस्व, मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिलान्तर्गत दावथ अंचल के ग्राम प्रसियां कलां, प्रसियां खुर्द, कवई तथा पढ़खवली के किसानों ने जिलाधीश, आरा के पास हल्का नं० ७ के कर्मचारी महेन्द्र प्रसाद के दुर्व्यवहार और प्रति रसीद काटने के लिए एक रुपया रसीदीयावन लेने के विरूद्ध में एक दर्खास्त ता० ११ नवम्बर, १९६० को दी है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कर्मचारी के विरूद्ध जमाबन्दी सुधारने और कुआं निर्माण के सम्बन्ध में नाजायज ढंग से पैसा मांगने के सम्बन्ध में ग्राम प्रसियां कलां (दावथ अंचल) के श्री रामस्वरूप प्रसाद ने सर्किल ऑफिसर सूरपुरा के पास ता० ६ मार्च, १९६१ में एक दर्खास्त दी है ;

(३) अगर उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस कर्मचारी पर क्या कार्रवाई करने जा रही है और कबतक ?

श्री अब्दुल गफूर—(१) कोई भी इस तरह की दर्खास्त डिस्ट्रिक्ट आफिस में नहीं पहुंची है। इस किस्म की एक दर्खास्त अंचल आफिस, दावथ में पहुंची है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) इस बात की इन्क्वायरी सर्किल आफिसर, दावथ के जरिए की गयी है। जो एलीगेशन कर्मचारी के खिलाफ दर्खास्त में है, वह सब्सटैनशियेट नहीं किया गया है। इसमें फर्दर इन्क्वायरी के लिए आर्डर दिया गया है। सर्किल आफिसर की जांच पूरी हो जाने के बाद अगर दोष साबित हो गया तो कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जायगी। इस सिलसिले में २२ आदमियों को सर्किल आफिस में अनाने की नोटिस दी गई है लेकिन उसमें से कोई नहीं आये हैं।

*श्री राम अशीश सिंह—क्या यह सरकार को मालूम है कि जिन २२ आदमियों को बुलाया गया था, उसमें से दो आदमी सर्किल आफिस के पास आये लेकिन वहां कर्मचारी ने इस तरह का एटमासफियर कर दिया था जिसके कारण वे लोग आफिस में नहीं गये ?

श्री अब्दुल गफूर—जब कर्मचारी के खिलाफ दर्खास्त की गयी थी और सर्किल आफिस से उनके पास नोटिस गयी थी तो क्यों नहीं वे लोग आफिस में गये ? उनको जाकर वहां बताना चाहिए था।

अध्यक्ष—अगर २२ आदमियों के बुलाने के बजाय एक ही आदमी वहां चला गया होता तो इन्क्वायरी हो गयी होती।

श्री अब्दुल गफूर—ठीक है। वे खुद जाकर इन्क्वायरी कर रिपोर्ट दें। यह हिदायत की जायगी।

श्री रामचन्द्र सिंह को मदद।

१९४८। श्री राम अशीश सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिलान्तर्गत दिनारा थाना के सरसा ग्राम के एक गरीब रामचन्द्र सिंह का घर १७ सितम्बर, १९५९ की रात में आग लगकर भस्म हो गया जिसमें उनका तीन पशु एवं सारा सामान जल गया ;

(२) क्या यह बात सही है कि उन्होंने मदद के लिए दिनांक ३० सितम्बर, १९५९ को एक दर्खास्त सर्किल ऑफिसर, सूर्यपुरा के पास तथा दूसरी दर्खास्त दिनांक ६ अक्तूबर, १९५९ को सासाराम अनुमंडलाधिकारी के पास दिया था ;

(३) क्या यह बात सही है कि उन्होंने मदद मिलने में विलम्ब देखकर २ जनवरी, १९६० को राजस्व विभाग में तथा १ अप्रील, १९६० को पुनः सर्किल ऑफिसर को रजिस्ट्री द्वारा दर्खास्त दी ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उस गरीब को मदद देने में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है तथा कबतक रकम मिल जायगी ?

श्री अब्दुल गफूर—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) आवेदक ने केवल एक दरखास्त अंचलाधिकारी, विक्रमगंज को दिनांक १६ अक्टूबर १९५९ को दी थी जिसे उन्होंने अंचलाधिकारी, सूर्यपूरा को २२ अक्टूबर १९५९ को भेज दी थी।

(३) राजस्व विभाग में दर्खास्त देने की बात स्वीकारात्मक है तथा उसे समाहर्त्ता के यहां आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा भी गया था। सर्किल आफिसर, सूर्यपूरा के यहां दूसरी दर्खास्त नहीं प्राप्त हुई थी।

(४) आवेदक को २० अप्रील १९६१ को २५ रु० दिया जा चुका है।

श्री राम अशीश सिंह—जब उनके तीन पशु एवं सारे सामान जल गये हैं और सिर्फ २५ रु० दिया गया है जो बहुत ही कम है तो क्या सरकार उसको कुछ और रुपया देने का विचार करती है ?

श्री अब्दुल गफूर—अगर उनको बहुत ज्यादा क्षति हुई है तो वे नेचुरल कालामिटीज लोन के लिए दर्खास्त दें और सरकार उसपर विचार करेगी।